17

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2005/भाद्र 8, 1927
No. 121] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2005/BHADRA 8, 1927

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2005

फा. सं. 34-2/2005/राअशिप/समन्वय.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) अधिनियम, 1993 के खण्ड 19 के उप-खण्ड (1) तथा उप-खण्ड (2) की धारा (झ) तथा (त) के अंधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (कार्यकारी समिति को कार्यों और शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 1995 का प्रतिस्थापन करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. लघुशीर्ष और प्रवर्तन

(i) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (कार्यकारी समिति को कार्यों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2005 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कार्य

(i) कार्यकारी समिति परिषद् द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित विशेष कार्य करेगी।

(ii) कार्यकारी समिति को परिषद् द्वारा प्रत्यायोजित मामलों पर कार्रवाई करने और निर्णय लेने का अधिकार तथा शक्तियां प्राप्त होंगी।

जी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन/III/IV/135/05-असा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2005

F. No. 34-2/2005/NCTE/CDN.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (i) and (p) of sub-section (2) of Section 32 read with sub-section (1) of Section 19 of the National Council for Teacher Education Act, 1993, and in supersession of the National Council for Teacher Education (assignment of functions and powers to the Executive Committee) Regulations, 1995, the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (assignment of functions to the Executive Committee) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Functions :

(1) The Executive Committee shall carry out the specific functions to be assigned to it by the Council from time to time.

(2) The Executive Committee shall have the authority and the powers to act and decide in the matters assigned to it by the Council.

V.C. TEWARI, Member Secy.

[Advt./III/IV/131/05-Exty.]